(१)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–44 / 2016–17

राज्य बनाम राजा राम सिंह वगैरह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

17/3/18

इस वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी, पण्डारक के पत्र सं0 847 दिनांक 04.08.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 01 / 2016–17 के आलोक में आरम्भ की गयी।

अंचलाधिकारी, पंडारक के द्वारा मौजा–ढ़ीबर दीयरा, थाना नं0 03, अंतर्गत निम्न जमाबंदीदारों के द्वारा अपनी कायम जमाबंदी से संबंधित वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में इन जमाबंदियों को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी सं0
1	2	3	4
21, 22	70 / 110, 181, 182	0.40 डी0	531
42, 10	256, 157, 180, 302, 197, 251	1.48 डी0	41
42, 10	256, 157, 302, 197, 251, 189	1.45 $\frac{3}{4}$ डी0	पूर्व 52 वर्तमान 03
21, 22	70 / 110, 181, 182	0.80 डी0	जमाबंदी 45, फटे जमाबंदी 535
21, 22	70 / 110, 181, 182	0.40 डी0	जमाबंदी 43, फटे जमाबंदी 513

इस न्यायालय से सभी रैयतों को नोटिस निर्गत की गयी। जमाबंदी रैयतों के द्वारा वकालतनामा दायर किया गया। विपक्षीगण को प्रतिउत्तर दायर करने हेतु अनेक अवसर दिये गये, परन्तु किसी भी जमाबंदीदार के द्वारा जबाब दायर नहीं किया गया। दिनांक 18.04.2017 से विपक्षीगण के द्वारा वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 17.10.2017 को विपक्षीगण को अंतिम मौका दिया गया, उसके बाद भी सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों यथा 08.11.2017, 12.12.17, 16.01.18, 17.02.18 को विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण आज भी अनुपस्थित है।

अंचलाधिकारी, पंडारक के द्वारा प्रेषित अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी के द्वारा अभिलेख में कहीं पर भी प्रश्नगत भूखण्ड के खतियानी स्वरूप के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अंचलाधिकारी, पंडारक को जमाबंदी रद्द का प्रस्ताव भेजते समय यह अवश्य अंकित करना चाहिए था कि प्रश्नगत जमीन का खतियानी स्वरूप क्या है, उसके खतियानी रैयत कौन है। उक्त भूखण्ड रैयती है अथवा सरकारी, इस संबंध

में अंचलाधिकारी, पंडारक के द्वारा अपने प्रतिवेदन में कुछ नहीं कहा गया है। जमाबंदीदारों के द्वारा भी इस न्यायालय में जमीन से संबंधित कोई कागज / साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, पंडारक को वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे जमीन के खतियानी स्वरूप के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें तथा इस तथ्य को भी निश्चित रूप से अंकित करें कि इसमें सरकार का हित सन्निहित है अथवा नहीं। तत्पश्चात् अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ प्रस्ताव इस न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

7/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

7/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना